

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 15/2017 मुकनाराम बनाम मगनाराम</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>19.02.2025</p>	<p>न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार आर ए एस</p> <p>आदेश</p> <p>दिनांक 19.02.2025</p> <p>उपस्थिति</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अपीलांटस की तरफ से अधिवक्ता श्री नारायण कुमावत 2. उतरदातागण की तरफ से अधिवक्ता श्री खैताराम सेन <p>अधिवक्ता अपीलांटस ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस की अनुपस्थिति में पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कैम्प कोर्ट में पारित की गई जबकि कैम्प कोर्ट में पत्रावली को सुनवाई हेतु नियत किया गया जिसकी जानकारी अपीलांटस को नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार धौरीमन्ना को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार धौरीमन्ना द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय जिस विभाजन प्रस्ताव के अनुसार पारित की गई वो मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत तैयार किया गया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार धौरीमन्नाद्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायालयमें पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bound सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।</p> <p>उतरदाता के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटस की अपील को स्वीकार किया जाकर प्रकरण को रिमाण्ड किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p>वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना-पत्र पर अपनी लिखित एवं मौखिक बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अपीलाधीन</p>	

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

निर्णय व डिक्री की अपीलांटस को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। अपीलांटस द्वारा अपील पेश करने में जानबूझकर कोई देरी नहीं की गई। जिससे यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सदभाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कैम्प कोर्ट में पारित की गई जबकि पत्रावली कैम्प कोर्ट में सुनवाई बाबत नियत की गई इस आशय का नोटिस/सूचना अपीलांटस को दी गई हो पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा विभाजन प्रस्ताव का मजमून ही साबित कर देता है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआयना नहीं किया गया है। तहसीलदार को बंटवारे के मामले में स्वयं मौका देखना चाहिए था जबकि हस्तगत प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार के प्रतिहस्ताक्षर किये हुए हैं। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए पारित की उक्त विभाजन प्रस्ताव को तैयार करते वक्त अपीलांटगण को सूचना/नोटिस दिये बिना उनकी अनुपस्थिति में मौके पर कब्जा काशत के विपरित तैयार किया गया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांतगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांत स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर धौरीमन्ना द्वारा राजस्व वाद संख्या 45/2015 बउनवान मुकनाराम बनाम मगनाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.05.2015 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार भूमि की गुणवत्ता, स्थायी अलामात/कब्जे/मार्ग को मद्देनजर रखते हुए रखते हुए बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलाश सुनाया गया।

19/2/2015
(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर बाड़मेर